



सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था सुरत
सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरत
SARDAR VALLABHBHAI NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SURAT

SVNIT

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा NITSER अधिनियम के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

An Institute of National Importance, Established under NITSER Act by Ministry of Education, Govt. of India

संख्या No. E/CEA/ 2709 /2025-2026

दिनांक Date: 02/02/2026

परिपत्र CIRCULAR

03 FEB 2026

विषय: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बच्चों के शिक्षा भत्ते / होस्टल सब्सिडी के दावे का प्रस्तुतिकरण।

Sub: Submission of claim for Children Education Allowance / Hostel subsidy for the academic session 2025-26.

जो कर्मचारी वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए बच्चों के शिक्षा भत्ते (CEA) और होस्टल सब्सिडी का दावा करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे को सभी संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ 20 फरवरी, 2026 तक उप कुलसचिव (स्थापना अनुभाग) को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता (CEA) और होस्टल सब्सिडी नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए दी जाती है। इसके साथ ही, अगर बच्चा 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक, आईटीआई या इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करता है, तो पहले दो सालों के लिए ये भत्ते मिल सकते हैं। लेकिन, सरकारी कर्मचारी को यह भत्ते पहले से 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले बच्चे के लिए नहीं मिले होने चाहिए, या फिर बच्चे की उम्र 20 साल होने तक, जो भी पहले हो। दिव्यांग बच्चों के लिए यह उम्र सीमा 22 साल तक की जाती है। दावे के आवेदन पत्र और प्रतिपूर्ति के लिए विस्तृत मानदंड संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जिन स्टाफ सदस्यों ने निर्भरता घोषणा प्रपत्र (Dependency Declaration Form) जमा नहीं किया है, वे बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance – CEA) का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी की गई है।

The employees wish to claim Children Education Allowance / Hostel subsidy for the current academic session are requested to submit their claim for reimbursement of Children Education Allowance (CEA) / Hostel Subsidy in the prescribed format to Deputy Registrar (Establishment Section) on or before 20th February, 2026 with all relevant certificates.

It may be noted that the Children Education Allowance (CEA) and Hostel Subsidy are admissible for children studying from Nursery, Junior KG, Senior KG, up to the 12th standard. These allowances are also applicable for the first two years of a diploma/certificate course from a Polytechnic, ITI, or Engineering College, provided the child enrolls in the course after passing the 10th standard. However, the Government servant must not have already claimed CEA/Hostel Subsidy for the child's studies in the 11th and 12th standards, or after the child turns 20, whichever occurs earlier. For Divyang (disabled) children, the upper age limit is extended to 22 years. The Claim application form and detailed norms for reimbursement is available on the Institute's Website. Staff members who have not submitted the Dependency Declaration Form will not be eligible to claim Children Education Allowance (CEA).

This is issued with approval of the Competent Authority of the Institute.

Handwritten signature 02.02.2026

(श्री के.के. सिंह SHRI K.K. SINGH)

प्रभारी कुलसचिव REGISTRAR I/C

प्रतिलिपि Copy to:

- निदेशक का कार्यालय The Director's Office -सादर सूचनार्थ For Kind information.
- मुख्य सतर्कता अधिकारी / समस्त डीन / विभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष / संकाय प्रमुख उप-कुलसचिव (लेखा अनुभाग) / उप- कुलसचिव (स्थापना) – जानकारी एवं आवश्यक कारवाई हेतु CVO/ All Dean's/ HoDs / HoS/ FICs / Deputy Registrar (ACs Section) / Deputy Registrar (Establishment)- For information and necessary action.
- संकाय प्रमुख, केंद्रीय कंप्यूटर केंद्र – संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए Faculty In-Charge, Central Computer Centre – for uploading on the Institute's Website.